उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19–सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001.

सूचना / विज्ञप्ति(Website)हेतु

मृतक आश्रित सेवायोजन के अन्तर्गत उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस)–2022 की लिखित परीक्षा **के प्रश्न पत्रों एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में ऑन–लाइन आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु निर्धारित तिथि में संशोधन विषयक।**

संख्याःपीआरपीबी–1–मृ0आ0 / (SICP)2022(87-पद).   **दिनांकः**अक्टूबर 31 ,**2023**

कृपया सूचित करना है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी सूचना / विज्ञप्ति दिनॉकितः 27.10.2023 के द्वारा पुलिस विभाग में सेवाकाल में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के सेवायोजन के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अधियाचित उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के 87 पदों के सापेक्ष शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपयुक्त घोषित अभ्यर्थियों की ओ0एम0आर0 आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति की दिनांकः 26.10.2023 को सम्पन्न करायी गई लिखित परीक्षा **में पूछे गये प्रश्नों व सही उत्तर विकल्प प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में दिनॉकः 0 3.11. 2023 तक ऑन–लाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई है।**

2– उक्त सूचना / विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन करते हुए सूचित किया जाता है कि पूछे गये प्रश्नों व उनके उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हों, तो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। उक्त आपत्तियाँ प्रेषित करते समय अपना अनुकमांक तथा प्रश्न संख्या का उल्लेख करते हुये आपत्तियाँ तथा अपने कथन के सम्बन्ध में पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन आपत्तियों के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक मत अथवा पुष्टिकारक साक्ष्य अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा उन आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त वेबसाइट पर की गयी आपत्ति ही मान्य होगी। अन्य किसी भी माध्यम से की गयी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

3– अभ्यर्थीगण अपनी आपत्तियां बोर्ड की वेबसाइट http:uppbpb.gov.in// पर दिये गये लिंक पर दिनांकः 07.11.2023 की मध्य रात्रि तक प्रेषित कर सकते हैं। लिंक पर लॉग इन करने के लिये अपने अनुकमांक तथा जन्मतिथि का प्रयोग करें।

4– अभ्यर्थीगण अपनी आपत्ति के संदर्भ के लिये विज्ञप्ति में प्रकाशित प्रश्न–पत्र (Master Question Paper) के प्रश्न संख्या का ही उपयोग करें।

5– अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य / तर्क / सन्दर्भ का उल्लेख करना अनिवार्य है।

6– अभ्यर्थियों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपनी सभी आपत्तियों को एक साथ समेकित रूप से निर्धारित समय अवधि में दर्ज करायें। दिनांकः **07.11.2023 की मध्यरात्रि 12.00 बजे** के बाद दर्ज करायी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

31/10/23

अपर सचिव, भर्ती
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।